न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 20/2020
रजिस्ट्रेशन नं. : 2020/00066

प्रार्थी / अपीलार्थी :–

बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुख्य कार्यालय शिवाजी नगर पुणे, शाखा कार्यालय अभिनन्दन कॉम्प्लेक्स, दाहोद रोड, श्रीराम कोलोनी बॉसवाडा (राज.)

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्सः–

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार आहारी पिता श्री शंकरलाल निवासी राजपुत मौहल्ला, वी.पी.ओ भीमसौर तहसील गढी जिला बॉसवाडा (ऋणी)
2. श्री शंकरलाल आहारी पिता श्री दित्याजी आहारी निवासी राजपुत मौहल्ला, वी.पी.ओ भीमसौर तहसील गढी जिला बॉसवाडा (गारन्टर)
3. श्री देवीलाल रावत पिता श्री हरदु रावत निवासी वी.पी.ओ दईयाना बस्ती, दईयाना तहसील गढी जिला बॉसवाडा (गारन्टर)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 12–02–2021

बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुख्य कार्यालय शिवाजी नगर पुणे, शाखा कार्यालय अभिनन्दन कॉम्प्लेक्स, दाहोद रोड, श्रीराम कोलोनी बॉसवाडा ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर श्री धर्मेन्द्र कुमार आहारी पिता श्री शंकरलाल निवासी राजपुत मौहल्ला, वी.पी.ओ भीमसौर तहसील गढी जिला बॉसवाडा (ऋणी), श्री शंकरलाल आहारी पिता श्री दित्याजी आहारी निवासी राजपुत मौहल्ला, वी.पी.ओ भीमसौर तहसील गढी जिला बॉसवाडा (गारन्टर), श्री देवीलाल रावत पिता श्री हरदु रावत निवासी वी.पी.ओ दईयाना बस्ती, दईयाना तहसील गढी जिला बॉसवाडा (गारन्टर) के खाते दिनाक 11–09–2019 तक कुल बकाया [illegible]1033.63/– रू. (पॉच लाख एकसठ हजार तैंतीस रु तिरेसठ पैसा) एवं तत्पश्चात [illegible] ब्याज की [illegible] के क्रम में परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित रिहायशी [illegible] 2006–07 श्री [illegible] कुमार आहारी पुत्र श्री शंकरलाल आहारी के नाम से है, जिसका कुल क्षे[illegible]ल 1750 वर्गफीट है जो [illegible] मौहल्ला, ग्राम भीमसौर, तहसील गढी, जिला बॉसवाडा में स्थित है। उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी / गारन्टर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.02.26 16:55:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 12–09–2019 को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व ऋण राशि जमा नही करवाई। दिनांक 08.06.2009 को अप्रार्थी को रु. 7,00,000 ऋण स्वीकृत किया गया था। जिसकी एवज में अपनी उपरोक्तानुसार सम्पत्ति बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी सं.1 की ओर से दिनांक 08.01.2021 को श्री राहुल चंचावत एवं श्री नवनीत शर्मा अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 बावजुद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थी सं.1 के अधिवक्ता द्वारा जवाब हेतु समय चाहा किन्तु आज दिनांक 25.01.2021 को अधिवक्ता/अप्रार्थी अनुपस्थित है।

पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण/अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा न तो जवाब प्रस्तुत किया न ही अप्रार्थीगणो द्वारा ऋण राशि जमा करवाई न उपस्थित रहे। दिनांक 12.02.2021 को भी समस्त अप्रार्थीगण/ अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। समस्त अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक पक्षीय बहस बताया गया कि पूर्व में भी कई अवसर प्राप्त होने के बावजुद ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई है न ही जवाब प्रस्तुत एवं अनुपस्थित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुख्य कार्यालय शिवाजी नगर पुणे, शाखा कार्यालय अभिनन्दन कॉम्प्लेक्स, दाहोद रोड, श्रीराम कालोनी बॉसवाडा (राज.) द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुख्य कार्यालय शिवाजी नगर पुणे, शाखा कार्यालय अभिनन्दन कॉम्प्लेक्स, दाहोद रोड, श्रीराम कोलोनी बॉसवाडा (राज.) को दिलाने के लिए बैंक को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 12–02–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.02.26 16:55:18 IST
Reason: SelfAttested